सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 970 राँची, मंगलवार, 9 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 अक्टूबर, 2018

संख्या- 5/आरोप-1-222/2014- 2523(HRMS)-- श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 703/03, गृह जिला- हजारीबाग) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PHILBIUS BARLA BHR/BAS/3245	श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से०, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है.

श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-703/03, गृह जिला- हजारीबाग) के भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-207(A), दिनांक 14 जून, 2008 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-1. आपके द्वारा बिना उपायुक्त के अनुमोदन एवं स्वीकृति के सदर अंचल, चाईबासा में कार्यरत राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की प्रतिनियुक्ति खास महाल लीज नवीकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया, जिसकी न तो अनुमति आपके द्वारा उपायुक्त से ली गई और न ही इसके अनुमोदन हेतु कोई पत्राचार किया गया। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आपके द्वारा बिहार सेवा संहिता एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली का संदर्भ करते हुये अमर्यादित भाषा में पत्राचार कर उपायुक्त को सुझाव देते हुये स्वयं के निर्गत आदेश को उचित करार देने की कोशिश की गई, जो आपके उदण्डता का परिचायक था। इस प्रकार का पत्राचार कर उपायुक्त को भ्रमित करने की कोशिश की गई। यह आपके स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया गया पत्राचार कदाचार की श्रेणी में आता है।

आरोप सं०-2. आवास आवंटन संबंधी आपके द्वारा उपायुक्त, चाईबासा के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया गया वह न केवल अमर्यादित था बल्कि इससे आपके द्वारा उच्चाधिकारी के साथ पत्राचार की मर्यादा का उल्लंघन कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा भी आपके विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया कि उच्च पदाधिकारियों के साथ पत्राचार करने में आपके द्वारा कोई अनुशासन नहीं बरता जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में आपको चेतावनी भी दी गई।

आरोप सं०-3. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा परीक्षा विधि-व्यवस्था कार्य संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति आदेश को लेने से इंकार किया गया, जो विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य की अवहेलना एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। संदर्भित विषय पर उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का उत्तर न देते हुए विषय वस्तु से हट कर अनावश्यक पत्राचार किया गया एवं स्वयं की उपलब्धियों का बखान किया गया, जो न केवल अनुशासनहीनता का परिचायक है बल्कि इससे अपकी कार्यशैली भी परिलक्षित हुई। आपके स्पष्टीकरण को अनुचित करार दिया गया।

आरोप सं०-4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा खास महाल लीज नवीकरण/नामांतरण संबंधी अभिलेखों में प्रक्रिया का अनुपालन न कर नियम का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमोदन के लीज नवीकरण संबंधी अभिलेख सीधे अपर उपायुक्त को भेजी जाती है, जिससे न केवल स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन का मामला बनता है बल्कि इससे आपके स्वच्छंद एवं मनमाने कार्यशैली का भी प्रदर्शन होता है, जो एक सरकारी सेवक के

आचरण के प्रतिकूल है। संदर्भित विषय पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु किए गए पत्राचार के क्रम में आपके द्वारा जिस भाषा में जवाब दिया गया ऐसी भाषा के लिए आप सक्षम नहीं हैं। उपायुक्त के द्वारा भी खास महाल लीज नामांतरण/नवीकरण संबंधी अभिलेख में नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संचिका की कार्रवाई का आदेश दिया गया परन्तु आपके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि आपको उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश की कोई परवाह नहीं है।

आरोप सं०-5. कार्यालय के आवास आवंटन संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर बिना उनकी अनुमति के नगर निकाय चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त प्रेक्षक को आवंटित कमरा हठ कर आपके द्वारा कब्जा किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा से अनावश्यक पत्राचार किया गया। इस संदर्भ में स्थानीय समाचार पत्रों में भी आपके द्वारा बयानबाजी की गई, जो आपके स्तर के पदाधिकारी के लिए न तो उचित था और न ही इसके लिए आप सक्षम थे।

आरोप सं०-6. विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के रूप में पदस्थापित कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा नगरपालिका मद से वेतन के रूप में 65,231.00 रू० का अग्रिम लिया गया था। इस संदर्भ में विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को सूचित किए जाने के क्रम में उपायुक्त, चाईबासा द्वारा संदर्भित विषय पर लिए गए अग्रिम का समायोजन करने हेतु निदेशित किए जाने पर उपायुक्त के समक्ष जो पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया गया व न केवल आशिष्ट भाषा में था, बल्कि इस प्रकार के पत्राचार के लिए आप सक्षम नहीं थे।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4681, दिनांक 4 अगस्त, 2008 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-01/स्पष्टीकरण, दिनांक 21 अगस्त, 2008 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री बारला के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5575, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 द्वारा उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1869/गो०, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा उपलब्ध कराये मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया। अतः विभागीय संकल्प सं०-3166, दिनांक 13 जून, 2011 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः, संकल्प सं०-8598, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती सिन्हा के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-625, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री बारला के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी श्री बारला के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-6756, दिनांक 5 अगस्त, 2016 द्वारा श्री बारला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन एवं नियम-14(iv) के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री बारला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट याचिका (W.P.(S)No...../ 2016) दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 16 जून, 2017 को पारित आदेश में संकल्प सं०-6756, दिनांक 5 अगस्त, 2016 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा L.P.A.No.622/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2018 को न्यायादेश पारित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत संकल्प सं०-6756, दिनांक 5 अगस्त, 2016 द्वारा श्री बारला के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 970 -- 50